

भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स रोड, भोपाल

Website: www.bsg.net, E_mail bsgmadhypradesh@gmail.com phone no. 2661263, Fax: 2737446

2608 / सा0मु0 / गति / 2015-16

भोपाल, दिनांक 17/06 / 2015

1. जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास पदेन जिला कमिश्नर (स्काउट / गाइड)
जिला.....(म.प्र.) ।
2. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
संभागीय कार्यालय.....(म.प्र.) ।

विषय:- नवीन दल गठन अभियान - 2015-16

सन्दर्भ :- राज्य के प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम / योजना सत्र 2015-16 के अनुक्रम में ।

---000---

विषयगत लेख है कि शासन की मंशा अनुसार प्रदेश के सभी विद्यालयों में स्काउट-गाइड एवं रोवर-रेंजर नवीन दलों का गठन किया जाना है। जिसकी विस्तृत कार्ययोजना एवं निर्देश संलग्न कर भेजी जा रही है। सभी जिलों में आपके नेतृत्व में ब्लाक स्तर तक दल गठन अभियान संचालित किया जाना है। इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण एवं आयुक्त, आदिवासी विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक कलेण्डर में भी जुलाई माह में ही लक्ष्य सौंपा गया है। दल गठन अभियान के संबंध में निर्देश के साथ-साथ प्रपत्र भी संलग्न किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार है :-


1. दल गठन अभियान प्रभावी ढंग से हो एवं नवीन दलों का गठन हो इसके लिये आपके पास अपंजीकृत शासकीय / अशासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करने का कार्य 10 जुलाई के पूर्व तक कर लिया जायें। (संलग्न : प्रपत्र क्र-01 के अनुसार)
2. अपंजीकृत शासकीय / अशासकीय विद्यालयों को स्काउट-गाइड दल संचालन हेतु पंजीकृत कराने हेतु संबंधित प्राचार्यों को आपकी ओर से लिखित में निर्देश 10 जुलाई 2015 तक जारी किये जायें, ताकि वह विद्यालय में नवीन दल गठन में रूचि ले सकें।
अपंजीकृत शासकीय / अशासकीय विद्यालयों में दल गठन हेतु डी.ओ.सी. / डी.टी.सी. (स्काउट / गाइड) जिला सचिव, कोषाध्यक्ष के साथ विकासखंड पदाधिकारियों, स्काउटर-गाइडर पंजीकृत कराने हेतु सुनिश्चित कर अधिकतम 01 स्काउटर-गाइडर को पाँच विद्यालय पंजीकृत कराने हेतु लक्ष्य सौंपकर दिनांक 20 जुलाई 2015 के पूर्व निर्धारण करने हुए लिखित आदेश भी जारी किया जायें। (संलग्न : प्रपत्र क्र-02 के अनुसार)
4. दल गठन अभियान हेतु उपस्थित होने वाले गठन प्रभारी के जाने की सूचना पूर्व से ही संबंधित प्राचार्य / संस्था प्रमुख को दे दी जायें ताकि वे भी संस्था में उपस्थित रहें। दल गठन अभियान के प्रभारी विद्यालयों में दल गठन हेतु पहुँचने पर अपने साथ दल पंजीकरण प्रपत्र अवश्य साथ ले जायें। पंजीकरण प्रपत्र के साथ तीन प्रतियों में दल के सदस्य छात्र / छात्राओं के सूची (24-32) नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कक्षा जिसमें अध्ययनरत है एवं पता सहित प्राप्त करें। साथ ही संस्था से एक स्काउटर-गाइडर हेतु शिक्षक / शिक्षिका के नाम भी लिखित सहमति के साथ प्राप्त करें, ताकि उक्त शिक्षक को प्रशिक्षित करने के पश्चात दल संचालन प्रारंभ किया जा सकें। दल संचालन में सहयोग हेतु संस्था प्राचार्य की भी लिखित में सहमति प्राप्त की जायें,

CL

5. दल गठन पंजीकरण कार्य की पूर्ति एवं तीन प्रतियों में दल के छात्र/छात्राओं की सूची के साथ 01 दल की पंजीयन राशि, **32 स्काउट-गाइड** हेतु **30=00** रु. + कोटामनी राशि **32X10=320=00** रु एवं प्रति यूनिट लीडर शुल्क **15=00** रु इस प्रकार कुल राशि **365=00** रु. + विधालय में दर्ज छात्र संख्या के आधार पर प्राप्त स्काउट शुल्क का **05%** ड्राफ्ट कुल राशि.....जिला कमिश्नर स्काउट, जिला.....के नाम से तैयार कराया जावे। इसके लिए 32 छात्र/छात्रा के पंजीयन हेतु निर्धारित राशि का विस्तृत विवरण संलग्न है। प्रतिदिन दल गठन पंजीकरण फार्म, सूची मय राशि के ड्राफ्ट सहित जिला कमिश्नर स्काउट कार्यालय में जमा की जावे एवं दल गठन अभियान के समाप्ति पश्चात निर्धारित तिथि में राज्य मुख्यालय भोपाल को सम्पूर्ण प्रतिवेदन भेजे। **संलग्न प्रपत्र ए.एस.ओ.सी. के माध्यम से प्रेषित करें।**
7. स्काउट-गाइड दल गठन अभियान की समीक्षा जिला स्तर पर आपके द्वारा **प्रत्येक सप्ताह की टी.एल. बैठक में अनिवार्य रूप से की जावे एवं प्रगति की जानकारी ली जावे।**

अतः दल गठन अभियान की विस्तृत कार्ययोजना एवं आवश्यक प्रपत्र के प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है। कृपया दल गठन अभियान संचालित कर प्रगति प्रतिवेदन से समय-समय पर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।


- संलग्न :-
1. कार्ययोजना
 2. प्रपत्रों के प्रारूप-3
 3. दल पंजीकरण फार्म


राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश.
भोपाल, दिनांक 17/06/2015

2609 /रा0मु0/गति/2015-16
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. गौतम नगर भोपाल।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र., सतपुडा भवन, भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, जिला.....(म0प्र0)।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला.....(म0प्र0)।
5. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग.....(म0प्र0)।
6. समस्त उपायुक्त, आदिवासी विकास संभागीय कार्यालय..... (म0प्र0)।
7. समस्त जिला मुख्य आयुक्त/जिला कमिश्नर-गाइड जिला.....(म0प्र0)।
8. समस्त जिला सचिव/संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्का.गा.) जिला संघ.....(म0प्र0)।


राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश.

दल गठन अभियान की कार्ययोजना सत्र 2015-2016

क्रम	अवधि	कार्य योजना	उत्तरदायित्व	मार्गदर्शन	मानिट्रिंग
	1-10 जुलाई 2015 तक आदेश जारी करना	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं संभागीय उपायुक्त की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास व जिला संयोजक को दल गठन एवं नवीनीकरण संबंधी परिपत्र जिलों को जारी कराना	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)	संयुक्त संचालक / संभा.उपायुक्त आदि.विकास	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)
	11-20 जुलाई 2015 तक जिला स्तर पर समस्त तैयारियाँ पूर्ण करना	संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की बैठक संयुक्त संचालक एवं संभागीय उपायुक्त की अध्यक्षता में कराना एवं दल गठन अभियान के विषय में सम्पूर्ण कार्य योजना पर चर्चा करना एवं जानकारी देना ।	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)	संयुक्त संचालक / संभा.उपायुक्त आदि.विकास	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)
	15-30 जुलाई 2015 तक दल गठन का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करना एवं एएसओसी द्वारा जिलों का भ्रमण कर कार्यवाही पूर्ण करना	1-जिला संघ कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक कर दल गठन की जानकारी देना। योजना तैयार करना तथा जिन शालाओं में दल गठित नहीं है उनमें दल गठन हेतु ड्यूटी लगाना । 2- जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से सभी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रमुखों को दल गठन एवं नवीनीकरण संबंधी निर्देश जारी कराना (विद्यालयों को चिन्हित करके)	डी०ओ०सी० (स्का० / गा०) डी०टी०सी० (स्का० / गा०) जिला सचिव एवं समस्त जिले के पदाधिकारी	जि०मु०आयुक्त जि०शि०अ० / स०आ०आदि० विकास जिला कमिन्शर गाइड	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०) द्वारा जिलो का भ्रमण
4	30 जुलाई से 5 अगस्त 2015 तक दल गठन का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करना	1- संस्था प्रधान दल गठन कार्यवाही पूरा होने के पश्चात् दल हेतु 32 जोड़ यूनिफार्म जिला संघ से क्रय करना । 2- 5 शास०+5 अशास० कुल 10 अपंजीकृत विद्यालयों से सम्पर्क हेतु नामवार दल गठित कराना एवं पंजीकृत कराना (विद्यालयों को चिन्हित करके) 3- दल गठन के लिये जाने हेतु तिथि निर्धारित कर सूचना प्राचार्य को देना 4- दल गठन की कार्यवाही पूर्ण करना	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०) एवं डी०ओ०सी० (स्का० / गा०) एवं समस्त जिले के पदाधिकारी	जि०शि०अ० / स०आ०आदि० विकास / जिल । सचिव	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०) डी०ओ०सी०
5	5-10 अगस्त 2015 तक दल गठन की समीक्षा एवं जानकारी भेजना	1- शास० / अशास० हाईस्कूल / उ०मा०वि० के संस्था प्रमुखों की बैठक का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी / जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कराना एवं दल गठन की रिपोर्ट प्राप्त करना व समीक्षा करना । 2- क्रमांक 1 से 6 तक की कार्ययोजना के चरण की विस्तृत समीक्षा जिला संघ	डी०ओ०सी० (स्का० / गा०)	जि०शि०अ० / स०आ०आदि० विकास	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)

क्रम	अवधि	कार्य योजना	उत्तरदायित्व	मार्गदर्शन	मानिट्रिंग
		की बैठक में करना 3- समस्त जानकारी संकलित कर ए०एस०ओ०सी० को भेजना ।			
6	10-14 अगस्त 2015 तक जानकारी का प्रेषण	सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रपत्र सहित राज्य मुख्यालय भेजना	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)	संयुक्त संचालक / संभा.उपायुक्त आदि.विकास	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)
7	20-30 अगस्त 2015 तक मानीट्रिंग	1- विकास खण्डवार दल गठन की समीक्षा विकास खण्ड स्तर पर जाकर ।	डी०ओ०सी० (स्का० / गा०) डी०टी०सी० (स्का० / गा०) जिला सचिव	जि०शि०ओ० / स०आ०आदि० विकास	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)
	20-30 अगस्त 2015 तक मानीट्रिंग	ए०एस०ओ०सी०+डी०ओ०सी० द्वारा दल गठन की समीक्षा जिला स्तर पर	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)	संयुक्त संचालक / संभा.उपायुक्त आदि.विकास	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)
9	15-30 सितम्बर 2015 के मध्य राज्य स्तर पर समीक्षा	राज्य मुख्या०स्तर पर दल गठन की समीक्षा	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)	राज्य सचिव	


 राज्य सचिव
 भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
 ३